उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

दिव्य फार्मेसी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य दिनांकित 21 दिसम्बर, 2018

निर्णय सुरक्षित रखा गया– 07.09.2018

निर्णय की तिथि – 21.12.2018

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

रिट पिटीशन (एम/एस) नम्बर 3437 वर्ष 2016

दिव्य फार्मेसी ..... याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य ..... प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री आर0 पार्थसार्थी, श्री पी0 आर0 मल्लिक, श्री अनिल दत्त, श्री सुदर्शन सिंह और श्री साहिल मल्लिक, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री राकेश थपलियाल, सहायक , श्री वी0के0 कप्रवाण, प्रतिवादी संख्या 01 केन्द्र सरकार की ओर से अधिवक्ता

श्री एम0 सी0 पाण्डेय, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री योगेश पाण्डेय, प्रतिवादी संख्या 04 राज्य की ओर से अतिरिक्त सी0एस0सी0,

श्री रित्विक दत्त, श्री सौरभ शर्मा, प्रतिवादी सख्या 02 के अधिवक्ता,

श्री आलोक महरा, प्रतिवादी संख्या 03 के अधिवक्ता

माननीय सुधांशु धूलिया, जज,

1. ''दिव्य योग मंदिर'', एक ट्रस्ट है जो पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत है, और ''दिव्य फार्मेसी'', जो इस न्यायालय के समक्ष एकमात्र याचिकाकर्ता है, इस ट्रस्ट का एक व्यावसायिक उपक्रम है। फार्मेसी हरिद्वार उत्तराखण्ड में अपनी निर्माण इकाई में आयुर्वेदिक दवाओं और न्यूट्रास्यूटिकल उत्पादों का निर्माण करती है। रिट याचिका के अनुसार ट्रस्ट और फार्मेसी की स्थापना स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने की थी।

2. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि ''जैविक संसाधन'' आयुर्वेदिक और न्यूट्रास्युटिकल उत्पादों के निर्माण में मुख्य घटक और कच्चे माल का निर्माण करते हैं। याचिकाकर्ता उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड (इसके

बाद यूबीबी के रूप में संदर्भित) द्वारा ''उचित और समान लाभ साझाकरण'' (एफईबीएस) के तहत जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत प्रदान की गयी मांग से व्यथित है।

याचिकाकर्ताओं का मामला–

3. याचिका कर्ता का मामला साधारण है। यूबीबी ''उचित और समान लाभ साझाकरण'' (एफईबीएस) के तहत मांग नहीं कर सकता है, क्योंकि बोर्ड के पास ऐसा करने की न तो शक्तियां हैं और न ही अधिकार क्षेत्र और दूसरी बात, याचिकाकर्ता किसी भी मामले में किसी भी राशि का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं है। या ''एफईबीएस'' के तहत किसी प्रकार का योगदान दें। याचिकाकर्ता का यह तर्क कानून के ''कुछ प्रावधानों'' की व्याख्या पर आधारित है, जिसे अब हम संदर्भित कर सकते हैं।

4. जैविक विविधत अधिनियम, 2002 संसद का 2002 का अधिनियम है, जिसके तीन मूल उद्देश्य हैं–

(क) जैव विविधता का संरक्षण, (ख) इसके घटकों का सतत उपयोग, (ग) जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण।

5. इस रिट याचिका में हम वर्तमान में केवल तीसरे उद्देश्य से सम्बन्धित हैं, जो उचित और समान लाभ साझा करना है। (इसके बाद एफईबीएस के रूप में संदर्भित)

6. ''जैविक संसाधन'' जिसका उपयोग आयुर्वेदिक दवा के निर्माण के इस निर्माण के लिये किया जाता है, को अधिनियम की धारा 2(सी) के तहत निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :

'' 2. परिभाषाएं– इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

(ए) .....

(बी) .....

(सी) ''जैविक संसाधनों'' से पौंधे, जीव जन्तु और सूक्ष्म जीव या उनके भाग, वास्तविक या संभावित उपयोग या मूल्य सहित उनके आनुवंशिक पदार्थ और उपोत्पाद (मूल्य वर्धित उत्पादों को छोड़कर) अभिप्रेत हैं किन्तु इसके अंतर्गत मानव आनुवंशिक पदार्थ नहीं है।''

7. अधिनियम के तहत व्यक्तियों का कुछ वर्ग राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (इसके बाद एनबीए के रूप में संदर्भित) के ''पूर्व अनुमोदन'' के बिना, किसी भी तरीके से, भारत में जैव विविधता से सम्बन्धित गतिविधि

नहीं कर सकता है। जिन व्यक्तियों को एनबीए से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है, वे जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 3 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) में परिभाषित व्यक्ति हैं। अधिनियम की धारा 3 निम्नानुसार है – ''3. कतिपय व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना जैव विविधता सम्बन्धी कार्यकलाप न करना; (1) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुसंधान के लिये या वाणिज्यिक उपयोग के लिये अथवा जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग के लिये भारत में पाये जाने वाले किसी जैव संसाधन या उससे सहबद्ध जानकारी अभिप्राप्त नहीं करेगा।

(2) जिन व्यक्तियों से उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा, वे निम्नलिखित हैं, अर्थात–

(ए) एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है;

(बी) भारत का ऐसा नागरिक जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (30) में यथापरिभाषित अनिवासी है;

(सी) ऐसा निगमित निकाय या संगम या संगठन जो –

(i) भारत में निगमित या पंजीकृत नहीं है; या

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत में निगमित या रजिस्ट्रीकृत है जिसकी शेयर पूंजी या प्रबन्ध में कोई गैर भारतीय भागीदारी है।''

8. उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी प्रकार का ''विदेशी तत्व'' रखने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के लिये एनबीए की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। उनसे जुड़ा हुआ है, या तो वे विदेशी है, या यदि वे नागरिक हैं तो भी वे अनिवासी हैं और एक निकाय कॉर्पोरेट के मामले में फिर से एक ''गैर भारतीय'' तत्व जुड़ा हुआ है। इसलिये विदेशी तत्व वाले व्यक्तियों को एक अलग श्रेणी में रखा गया है।

9. अधिनियम की धारा 2(जी) के तहत ''उचित और समान लाभ साझाकरण'' को परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार है –

''2. परिभाषाएं– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) .....

(ख) .....

(ग) .....

(घ) .....

(ङ) .....

(च) .....

(छ) ''उचित और साम्यपूर्ण लाभ साझाकरण'' से धारा 21 के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अवधारित फायदों में हिस्सा बांटना अभिप्रेत है।''

10. अधिनियम की धारा 21 निम्नानुसार है –

''21. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा साम्यपूर्ण लाभ के बंटवाने का निर्धारण, (1) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण धारा 19 या धारा 20 के तहत अनुमोदन प्रदान करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निबन्धन और शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए अनुमोदन अनुदत्त किया गया है, उपलब्ध जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों, उनके उपोत्पादों, उनके उपयोग से सहबद्ध नवपरिवर्तनों तथा व्यवहारों और उनसे सम्बन्धित उपयोजना तथा ज्ञान का, ऐसे अनुमोदन के लिये आवेदन करने वाले व्यक्ति, संबंधित स्थानीय निकाय और फायदे के दावेदारों के बीच पारम्परिक रूप से करार किये गये निबन्धनों और शर्तों के अनुसार साम्यपूर्ण फायदे में हिस्सा बांटना सुनिश्चित करती है।

(2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस निमित्त बनाये गये किन्हीं विनियमों के अधीन रहते हुए फायदे में हिस्सा बंटाने का अवधारण करेगा, जिसे निम्नलिखित सभी या किसी रीति से प्रभावी किया जाएगा, अर्थात–

(क) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, या जहां लाभ दावेदारों को ऐसे फायदे के दावेदारों के रूप में पहचाना जाता है, वहां फायदे के ऐसे दावेदारों को बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का संयुक्त स्वामित्व देना;

(ख) प्रौद्योगिकी का अंतरण करना,

(ग) ऐसे क्षेत्रों में उत्पादन, अनुसंधान और विकास एककों का अवस्थान जो फायदे के दावेदारों के बेहतर जीवन स्तर को सुकर बनाते हैं ;

(घ) भारतीय वैज्ञानिकों, फायदे का दावा करने वाले व्यक्तियों और स्थानीय जनता का जैव संसाधन और जैव सर्वेक्षण तथा जैव उपयोग के अनुसंधान और विकास में सहयोजन करना;

(ङ) फायदे का दावा करने वालों के हेतुक की सहायता के लिये जोखिम पूंजी निधि की स्थापना करना;

(च) फायदे का दावा करने वालों को धनीय प्रतिकर और अन्य ऐसे गैर धनीय फायदों का संदाय करना जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जाएं।

(3) जहां धन की किसी राशि का हिस्सा बंटाने का आदेश दिया जाता है, वहां राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ऐसी राशि को राष्ट्रीय जैव विविधता

निधि में जमा करने का निदेश दे सकेगा :

परन्तु यह कि जहां जैव संसाधन या ज्ञान किसी विनिर्दिष्ट व्यष्टिक या व्यष्टिक समूह या संगठन के अभिगम के परिणामस्वरूप हुआ था वहां राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यह निदेश दे सकेगा कि राशि का किसी करार के निबन्धनों के अनुसार और ऐसी रीति में जो वह ठीक समझे, ऐसे विशिष्ट व्यष्टि या व्यष्टि समूह या संगठन को सीधे संदाय किया जाएगा।

(4) इस धारा के प्रयोजन के लिये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के परामर्श से विनियमों द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत बनायेगी।''

11. इस प्रकार उचित और न्यायसंगत लाभ साझाकरण (एफईबीएस) को सटीक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसकी परिभाषा कानून के अन्य प्रावधानों के संदर्भ पर आधारित है, जहां फिर से इसे धारा 21 की उपधारा (2) में उदाहरण के रूप में दिया गया है, जहां ''मौद्रिक मुआवजे का भुगतान'' इस लाभ के अनुदान के साधनों में से एक है।

12. एनबीए की धारा 19 या अधिनियम की धारा 20 के तहत मंजूरी देने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुमोदन देने के लिये नियम और शर्त ऐसी है, जो ''जैविक संसाधनों'' के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के समान बंटवारे को सुरक्षित करती है। दूसरे शब्दों में, एफईबीएस तभी उत्पन्न होगा, जब अधिनियम की धारा 19 और 20 के तहत अनुमोदन लिया जा रहा है और किसी अन्य आकस्मिकता में नहीं। सभी समान दोनों धारा 19 और 21 केवल ''विदेशी संस्थाओं'' के लिये हैं, जिन्हें किसी न किसी रूप में एनबीए से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ये प्रावधान याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं होते हैं, जो विशुद्ध रूप से एक भारतीय कंपनी है।

13. अधिनियम की धारा 19 और 20 के तहत एनबीए से पूर्व अनुमोदन आवश्यक है, केवल उन व्यक्तियों द्वारा जिन्हें अधिनियम की धारा 3(2) के तहत परिभाषित किया गया है। ऐसे व्यक्ति वे हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं या हालांकि भारत के नागरिक अभी भी अनिवासी भारतीय हैं और यदि यह निकाय कॉर्पोरेट संघ या संगठन है तो यह भारत में शामिल या पंजीकृत नहीं है या यदि निगमित या वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत भारत में पंजीकृत इसकी शेयर पूंजी या प्रबन्धन में गैर भारतीय भागीदारी है। सीधे शब्दों में कहें तो एनबीए के लिये पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता तभी होती है जब इसमें कोई ''विदेशी तत्व'' शामिल हो।

14. याचिकाकर्ता जैसी भारतीय संस्था के लिये अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान किया गया है कि जो ''पूर्व सूचना'' देने की बात करता है, वह

भी एनबीए को नहीं बल्कि राज्य जैव विविधता बोर्ड को, अधिनियम की धारा 7 निम्नानुसार है –

''7. कतिपय प्रयोजनों के लिये जैव संसाधन अभिप्राप्त करने के लिये राज्य जैव विविधता बोर्ड को पूर्व इत्तिला–ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या ऐसा निगमित निकाय, संगम या संगठन है जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है, वाणिज्यिक उपयोग के लिये कोई जैव संसाधन या वाणिज्यिक उपयोग के लिये जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग संबद्ध राज्य जैव विविधता बोर्ड को पूर्व इत्तिला देने के पश्चात ही अभिप्राप्त करेगा, अन्यथा नहीं :

परन्तु इस धारा के उपबन्ध उस क्षेत्र के स्थानीय व्यक्ति या समुदायों को लागू नहीं होंगे जिनके अंतर्गत जैव विविधता उगाने वाले और कृषक, और ऐसा वैद्य और हकीम है जो देशी औषधियों का व्यवसाय कर रहे हैं।''

15. जैसा कि याचिकाकर्ता धारा 2 की उपधारा 2 के तहत परिभाषित किसी भी श्रेणी में नहीं आता है, याचिकाकर्ता द्वारा एनबीए से पूर्व अनुमोदन का कोई सवाल ही नहीं है और तार्किक रूप से किसी भी योगदान का कोई सवाल नहीं है। एफईबीएस के तहत योगदान केवल उन लोगों से आता है जिन्हें एनबीए से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

16. याचिकाकर्ता यह भी तर्क देगा कि धारा 7 में संदर्भित व्यक्तियों के सम्बन्ध में राज्य जैव विविधता बोर्ड (एसबीबी) के पास एफबीईएस लगाने की कोई शक्ति नहीं है। 2002 के अधिनियम यानि ''भारतीय संस्थाओं'' के सम्बन्ध में। यहां तक कि एनबीए के पास भी एसबीबी को इन शक्तियों को सौंपने के लिये अधिनियम के तहत शक्तियां नहीं हैं, क्योंकि एनबीए स्वयं ''भारतीय इकाई'' पर एफईबीएस लगाने के लिये अधिकृत नहीं है। संक्षेप में याचिकाकर्ता का तर्क होगा कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जहां ''शुल्क''/मौद्रिक मुआवजे के रूप में योगदान, या किसी भी तरीके से योगदान भारतीय इकाई द्वज्ञरा किया जाना आवश्यक है। एफईबीएस केवल विदेशियों के लिये है, इसके बारे में कानून स्पष्ट है। श्री पार्थसारथी अंततः प्रस्तुत करेंगे कि वैधानिक व्याख्या का प्राथमिक सिद्धांत प्राथमिक प्रयुक्त शब्दों को स्पष्ट अर्थ देना है। झारखण्ड राज्य और अन्य बनाम गोविन्द सिंह (2005) 10 एससीसी 437 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा संख्या 17 में अवधारित किया है –

''17. जहां, इसलिए ''भाषा'' स्पष्ट है, विधायिका का इरादा इस्तेमाल की गयी भाषा से इकट्ठा किया जाना है। ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कानून में क्या कहा गया है और क्या नहीं कहा गया है। एक निर्माण

जिसके लिये इसके समर्थन शब्दों के जोड़ या प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है या जिसके परिणामस्वरूप शब्दों की अस्वीकृति होती है, जब तक कि यह अपवाद के नियम द्वारा कवर नहीं किया जाता है, जिसमें आवश्यकता भी शामिल है, जो मामला यहां नहीं है।

उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड द्वारा खण्डन–

17. इसके विपरीत एसबीबी के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋत्विक दत्त प्रस्तुत करेंगे कि एफईबीएस 2002 के अधिनियम द्वारा प्राप्त किये जाने वाले तीन प्रमुख उद्देश्यों में से एक है और इसे हमेशा लंबे इतिहास की निरन्तरता के रूप में देखा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों के जो संसदीय कानून से पहले थे। अधिनियम और उसमें बनाये गये विनियम हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का परिणाम हैं। यहां संदर्भ रियो डी जेनेरियो कन्वेन्शन और जोहान्सवर्ग घोषणा और सबसे महत्वपूर्ण निगोया प्रोटोकॉल का है। एसबीबी के विद्वान अधिवक्ता तर्क देंगे कि जहां तक एफईबीएस का सम्बन्ध है, ''विदेशी इकाई'' और ''भारतीय इकाई'' के बीच कोई अंतर नहीं है, और यदि इस सम्बन्ध में एक विदेशी इकाई और भारतीय इकाई के बीच अंतर किया जाता है, यह अधिनियम के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा और उन अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों के भी विरुद्ध होगा जिनका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि धारा 3 के तहत एक विदेशी संस्था को इस क्षेत्र में आने से पहले एनबीए की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। अधिनियम की धारा 7 के तहत भारतीय इकाई को इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले एसबीबी को ''पूर्व सूचना'' देनी होगी। जहां तक भारतीय इकाई का सम्बन्ध है, अधिनियम के तहत एसबीबी को विनियमन और नियंत्रण दिया जाता है और इसलिये एसबीबी भारतीय इकाई के मामले में एक नियामक प्राधिकरण है जैसा कि याचिकाकर्ता और एफईबीएस द्वारा लगाया जा रहा है, एसबीबी अपने नियामक कार्यों में से एक के रूप में।

18. एसबीबी के कार्यों को 2002 के अधिनियम की धारा 23 के तहत परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार है –

''23. राज्य जैव विविधता बोर्ड के कृत्य– राज्य जैव विविधता बोर्ड के निम्नलिखित कार्य होंगे –

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन रहते हुए जो जैव विविधत बोर्ड के संरक्षण, उसके अवययों के सतत उपयोग तथा जैव संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों के साम्यपूर्ण हिस्सा बांटने से सम्बन्धित विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना,

(ख) भारतीयों द्वारा वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण और किसी जैव विविधता संसाधन के जैव उपयोग के लिये अनुमोदन या अन्यथा अनुरोधों को मंजूर करके, विनियमित करना;

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों को करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक हों या जो राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाएं।

19. एसबीबी की शक्तियां, 2002 के अधिनियम की धारा 24 के अधीन दी गयी हैं, जो निम्नानुसार हैं –

संरक्षण आदि के उद्देश्यों का उल्लंघन करने वाले कतिपय क्रियाकलापों को निर्बंधित करने की राज्य जैव विविधता बोर्ड की शक्ति– (1) भारत का कोई नागरिक या भारत में रजिस्ट्रीकृत निगमित निकाय, संगठन या संगम, जो धारा 7 में निर्दिष्ट किसी कार्यकलाप को करना चाहता है, राज्य जैव विविधता बोर्ड को इसकी पूर्व सूचना ऐसे प्रारूप में देगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना की प्राप्ति पर, राज्य जैव विविधता बोर्ड, संबंधित निगमित निकाय से परामर्श करके और ऐसी जांच करने के पश्चात, जो वह ठीक समझे, आदेश या ऐसे किसी क्रियाकलाप को प्रतिषिद्ध या निर्बंधित कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा क्रियाकलाप, जैव विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग या ऐसे क्रियाकलाप से उद्भूत फायदों में साम्यपूर्ण हिस्सा बांटने के उद्देश्यों के प्रतिकूल या या विरुद्ध हो;

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं किया जाएगा।

(3) पूर्व सूचना के लिये उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रारूप में दी गयी कोई सूचना गुप्त रखी जाएगी और किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है, साशय या बिना आशय के प्रकट नहीं की जाएगी।''

20. विद्वान अधिवक्ता तर्क देंगे कि 2002 के अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (ए) के तहत, एसबीबी को जैव विविधता के इस क्षेत्र में राज्य सरकार को सलाह देने की शक्तियां दी गयी हैं, जबकि धारा की उपधारा (बी) में एसबीबी को भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग के लिये अनुरोध करने के लिये अनुमोदन प्रदान करने या अन्यथा को विनियमित करने की शक्तियां प्राप्त हैं। 2002 के अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (सी) के तहत दी गयी शक्तियां अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिये एसबीबी को दी गयी सामान्य शक्तियां हैं, या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती

हैं।

21. धारा 23 की उपधारा (बी) को 2002 को 2002 के अधिनियम की धारा 7 के साथ पढ़ा जाना है और दो प्रावधानों को एक साथ पढ़ने का मतलब यह होगा कि हालांकि एक भारतीय संस्था को केवल ''पूर्व सूचना'' देनी है (जैसा कि ''पूर्व सूचना'' विदेशी इकाई के मामले में एनबीए को अनुमोदन), इसका मतलब यह नहीं कि एसबीबी का भारतीय इकाई पर कोई नियंत्रण नहीं है। धारा 23 में कहा गया है कि एसबीबी के पास ''भारतीयों द्वारा किसी भी जैविक संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग के लिये अनुमोदन प्रदान करने या अन्यथा अनुरोधों को विनियमित करने'' की शक्तियां हैं। शुल्क लगाने से विनियमन नियामक तंत्र का एक स्वीकृत रूप है, एसबीबी के विद्वान अधिवक्ता तर्क देंके कि धारा 24 जहां एसबीबी स्थानीय निकायों के परामर्श से और इस तरह की जांच करने के बाद ऐसी किसी गतिविधि को प्रतिबंधित कर सकता है, अगर यह राय है कि ऐसी गतिविधि जैव विविधत को संरक्षण और सतत उपयोग या न्यायसंगत उद्देश्यों के लिये हानिकारक या विपरीत है। ऐसी गतिविधि से उत्पन्न होने वाले सभी लाभों को साझा करना।

22. विद्वान अधिवक्ता तब 2002 के अधिनियम की धारा 52ए पर भरोसा करेंगे, जो राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील का प्रावधान है, अन्य बातों के साथ–साथ, एनबीए या एसबीबी द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ लाभ साझा करने के निर्धारण के सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता इसलिये इस बात पर जोर देंगे कि एफईबीएस के सम्बन्ध में एसबीबी द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ अन्य बातों के साथ–साथ एक अपीलीय प्राधिकरण प्रदान किया गया है, इसका मतलब यह होगा कि एसबीबी के पास एफईबीएस लगाने की शक्तियां हैं।

23. अधिनियम की धारा 32 पर भी ऐसा भरोसा किया गया है, जो राज्य जैव विविधता कोष के गठन का प्रावधान करता है, जहां अन्य बातों के साथ राज्य जैव विविधता बोर्ड या ऐसे अन्य स्रोतों द्वारा प्राप्त राशियों को रखा जाना है, इसलिये इसका समग्र अध्ययन किया जाना है। अधिनियम के सम्पूर्ण प्रावधान यह दर्शाएंगे कि एसबीबी को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, विशेष रूप से एफईबीएस के क्षेत्र में, एसबीबी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे।

24. अधिनियम सुनिश्चित करता है कि जैविक विविधता के संरक्षण और पुनर्जनन के लिये एसबीबी के पास धन उपलब्ध है ताकि दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हो और स्वदेशी और स्थानीय समुदायों को जैविक

संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लाभ के लिये प्रोत्साहन मिले।

25. तब एफईबीएस के महत्व पर एसबीबी के विद्वान अधिवक्ता ने 2002 के अधिनियम की प्रस्तावना पर भरोसा करते हुए जोर दिया है, (जो 1992 के रियो डी जनेरियो सम्मेलन को संदर्भित करता है), जहां ''उचित और समान लाभ साझाकरण'' इनमें से एक है, जैव विविधता के संरक्षण के पूरे आन्दोलन के तीन महत्वपूर्ण पद और कानून के मुख्य उद्देश्यों में से एक 2002 के अधिनियम की प्रस्तावना के महत्व पर जोर देते हुए विद्वान अधिवक्ता ने कवलप्पारा कोट्टारथिल कोचुनी बनाम मद्रास और केरल राज्य (एआईआर 1960 एससी 1080) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

26. एसबीबी के विद्वान वकील तर्क देंगे कि वर्तमान संदर्भ में वैधानिक प्रावधानों का एक सरल और सादा पठन नहीं हो सकता है। 2002 के अधिनियम की परिभाषा खण्ड ''इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो'' शब्दों के साथ शुरू होता है। विद्वान अधिवक्ता इसलिये तर्क देंगे कि 2002के अधिनियम की धारा 2 में दी गयी विभिन्न शब्दों और वाक्यांशों की परिभाषाएं सामान्य परिस्थितियों में लागू की जानी हैं, लेकिन जब परिभाषा का प्रयोग अपना उद्देश्य खो देता है तो संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती है।

27. तत्पश्चात एसबीबी के विद्वान अधिवक्ता ने रियो डी जेनेरियो सम्मेलन और जोहान्सवर्ग घोषणा के अलावा घरेलू विधानों के निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के महत्व पर जोर दिया और 2010 के नागोया प्रोटोकॉल पर विशेष जोर दिया क्योंकि नागोया प्रोटोकॉल में पूरा जोर ''उचित और समान लाभ साझाकरण'' और इस सम्बन्ध में स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के महत्व पर था।

28. संक्षेप में एफईबीएस की अवधारणा में एक विदेशी संस्था और एक भारतीय संस्था के बीच कोई भेद नहीं किया जाता है और भारतीय संस्थाओं के भीतर अधिनियम जो एकमात्र अंतर करता है, वह 2002 के अधिनियम की धारा 7 के परन्तुक में है, जहां एक अपवाद है उस क्षेत्र में स्थानीय लोगों और समुदायों के लिये बनाया गया है, जिसमें जैव विविधता के उत्पादक और खेती करने वाले और वैद्य और हकीम शामिल हैं, जो स्वदेशी चिकित्सा का अभ्यास कर रहे हैं।

29. एसबीबी द्वारा लिया गया उपरोक्त स्टेंड शेष उत्तरदाताओं जैसे कि भारत संघ और उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अपनाया गया है।

30. प्रतिद्वंद्वी की दलीलों को सुनने के बाद यह स्पष्ट है कि विवाद के

केन्द्र में यह व्याख्या है कि ''उचित और समान लाभ साझाकरण'' क्या है, और क्या यह दायित्व किसी भारतीय या भारतीय कंपनी पर तय किया जा सकता है।

31. याचिकाकर्ता एक भारतीय कंपनी है, जिसमें विदेशी भागीदारी का कोई तत्व नहीं है, या तो इसकी शेयर पूंजी या प्रबन्धन में, और इसलिये एसबीबी द्वारा ''उचित और समान लाभ साझाकरण'' के तहत राशि लगाने को चुनौती दी है। इस आधार पर कि एक भारतीय संस्था को इस बोझ के अधीन नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता का पूरा तर्क एक शाब्दिक और कानूनी व्याख्या पर टिका है, विशेष रूप से ''निष्पक्ष और समान लाभ साझाकरण'' की।

32. पहले ब्लश में यह केवल स्पष्ट प्रतीत होता है कि यहां का कानून भारतीय इकाई को एफईबीएस के अधीन नहीं करता है, लेकिन जो स्पष्ट दिखता है, वह हमेशा सही नहीं हो सकता।

कानून में एफईबीएस की परिभाषा और उसका कार्यान्वयन

33. याचिकाकर्ता का पूरा मामला जैसा कि उसके विद्वान अधिवक्ता श्री पार्थसारथी द्वारा रखा गया है, ''उचित और समान लाभ साझाकरण'' की परिभाषा खण्ड पर चलता है और उसके आधार पर वह तर्क देगा कि ''उचित और समान लाभ साझाकरण'' में भारतीय संस्था शामिल नहीं होगा।

34. प्रश्न यह है कि क्या यहां संदर्भ के लिये एक सरल और शाब्दिक व्याख्या की आवश्यकता है। यह सच है कि सामान्य परिस्थितियों में एक परिभाषा की व्याख्या की जानी चाहिए क्योंकि यह परिभाषा खण्ड में दी गयी है, लेकिन अधिनियम की धारा 2 जो अधिनियम में विभिन्न अभिव्यक्तियों को परिभाषित करती है, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के साथ शुरू होती है, जो हैं – ''जब तक संदर्भ अन्यथा की आवश्यकता है'' इसका मतलब यह है कि यह अनिर्वाय नहीं है कि परिभाषा खण्ड में निर्दिष्ट अभिव्यक्ति को हमेशा यांत्रिक रूप से श्रेय देना चाहिए। हां, आमतौर पर ऐसा किया जाना चाहिए लेकिन जब इस तरह की व्याख्या का परिणाम बेतुका होता है, या जहां यह अधिनियम के उद्देश्य को विफल करता है, तो यह जैसा भी मामला हो, शब्दों या वाक्यांश को ''उचित अर्थ'' प्रदान करना न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है। यह इस कारण से है कि विधायिका प्रचुर मात्रा में सावधानी बरतने के लिये सभी नियमों में बड़े पैमाने पर ''जब तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो'' या इसी तरह के शब्दों के साथ परिभाषा खण्ड शुरू करे।

35. जीपी सिंह ने अपनी क्लासिक प्रिंसिपल्स ऑफ वैधानिक व्याख्या में

इस पहलू की व्याख्या इस प्रकार की है – ''..... जहां संदर्भ व्याख्या खण्ड में दी गयी परिभाषा को अनुपयुक्त बनाता है, एक परिभाषित कार्य जब कानून के शरीर में उपयोग किया जाता है तो व्याख्या खण्ड में निहित अर्थ से अलग अर्थ देना पड़ सकता है। एक व्याख्या में दी गयी सभी परिभाषाएं खण्ड इसलिये आम तौर पर योग्यता के अधीन अधिनियमित किया जाता है – जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो या जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो।

36. लेकिन इससे पहले कि किसी परिभाषा को एक अलग अर्थ दिया जाए, कारण दिया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। यह भी सच है कि ऐसे मामले में जहां परिभाषा खण्ड में दी गयी परिभाषा का प्रयोग प्रावधान को अव्यावहारिक या निष्प्रभावी बनाता है, वहां यह कहा जाना चाहिए कि परिभाषा विपरीत संदर्भ के कारण लागू नहीं होती है। 12वां संस्करण, पृष्ठ 191 न्यायमूर्ति जेपी सिंह वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत, 12वां संस्करण पृष्ठ 192

37. इस सम्बन्ध में अक्सर उद्धृत मामला वेनगार्ड फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि0 मद्रास बनाम फ्रेजर एंड रॉस, एआईआर 1960 एससी 971 है। उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थिति को नियमानुसार समझाया –

''यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सभी वैधानिक परिभाषाओं या संक्षेपों को परिभाषा खण्डों में व्यक्त की गयी योग्यता के अधीन पढ़ा जाना चाहिए, जिसने उन्हें बनाया है और यह भी तो हो सकता है कि जहां परिभाषा संपूर्ण है क्योंकि परिभाषित शब्द का अर्थ एक निश्चित बात है, विषय संदर्भ के आधार पर अधिनियम के विभिन्न वर्गों में शब्द का कुछ अलग अर्थ होना संभव है। यही कारण है कि मूर्तियों में सभी परिभाषाएं आमतौर पर योग्य शब्दों के साथ होती हैं। वर्तमान मामले में प्रयुक्त शब्दों के समान, अर्थात जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो। इसके विभिन्न वर्गों में ''बीमाकर्ता'' शब्द के अर्थ का पता लगाने में अधिनियम (बीमा अधिनियम 1938) का अर्थ आमतौर पर इसे दिया जाने वाला अर्थ परिभाषा खण्ड में दिया गया है। लेकिन यह अनम्य नहीं है और अधिनियम में ऐसे खण्ड हो सकते हैं जहां विषय या संदर्भ के कारण अर्थ को छोड़ना पड़ सकता है जिसमें शब्द का उपयोग किया गया था और यह परिभाषा खण्ड में शुरूआती वाक्य को प्रभावी करेगा। अर्थात जब तक विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो। इस योग्यता को देखते हुए न्यायालय को न केवल शब्दों को देखना है बल्कि उसे भी देखना है। ऐसे मामले से सम्बन्धित ऐसे

शब्दों का संदर्भ सहस्थापन और वस्तु और परिस्थितियों के तहत शब्दों के उपयोग से व्यक्ता किये जाने वाले अर्थ की व्याख्या करें।''

38. उचित परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने के लिये उपरोक्त मामले के तथ्यों को यहां बताया जाना चाहिए। भारत सरकार को एक बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी और इसके परिणामस्वरूप सरकार ने 17.05.1957 को बीमा अधिनियम 1938 की धारा 33 के तहत एक आदेश पारित किया जिसमें बीमा नियंत्रक को निर्देश दिया गया था कि वे वेनगार्ड फायर एण्ड जनरल नामक कंपनी के मामलों की जांच करें। बीमा कंपनी लिमिटेड कंपनी को भी आदेश के बारे में सूचित किया गया था। कंपनी ने नियंत्रक को यह कहते हुए वापस लिखा कि चूंकि उसने अपना कारोबार बंद कर दिया है, इसलिये कंपनी के खिलाफ जांच नहीं की जा सकती है।

39. बीमा अधिनियम 1938 की धारा 33(1) में केन्द्र सरकार को जांच करने का अधिकार दिया। प्रावधान निम्नानुसार हैं–

''केन्द्र सरकार किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा नियंत्रक या आदेश में निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी बीमाकर्ता के मामलों की जांच करने और उसके द्वारा की गयी किसी भी जांच पर केन्द्र सरकार को रिपोर्ट करने का निर्देश दे सकती है, बशर्ते कि नियंत्रक या अन्य व्यक्ति, जब भी आवश्यक हो, इस धारा के तहत किसी भी जांच में उसकी सहायता करने के उद्देश्य से एक लेखा परीक्षक या बीमांकक या दोनों को नियुक्त कर सकता है।''

40. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2डी आगे निम्नानुसार बताती है –

''प्रत्येक बीमा कर्ता बीमा व्यवसाय के किसी भी वर्ग के सन्बन्ध में इस अधिनियम के सभी प्रावधानों के अधीन होगा जब तक कि उस वर्ग के व्यवसाय के सम्बन्ध में भारत में उसकी देनदारियां असंतुष्ट रहती हैं और अन्यथा प्रदान नहीं की जाती हैं।''

41. हालांकि, उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी का मामला यह था कि धारा 33(1) और धारा 2डी दोनों एक ''बीमाकर्ता'' को संदर्भित करती हैं और एक बीमाकर्ता को धारा 2(9) में परिभाषित किया गया है। अधिनियम का जो ''बीमा का कारोबार करने वाला व्यक्ति'' है। चूंकि बीमा का कारोबार कंपनी द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, अब यह ''बीमाकर्ता'' नहीं रह गया है और अधिनियम के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होंगे। कंपनी की ओर से यह संक्षिप्त तर्क था। इस तर्क पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कहा –

''.....यद्यपि ''बीमाकर्ता'' शब्द परिभाषा खण्ड (एस. 2(9)) में दिया गया है

और बीमा के व्यवसाय को करने वाले व्यक्ति या निकाय आदि को संदर्भित करता है, यह शब्द बीमा के व्यवसाय को भी संदर्भित कर सकता है। किसी भी इच्छुक बीमाकर्ता या क्वॉन्डम बीमाकर्ता के लिये अधिनियम के कुछ प्रावधानों के सन्दर्भ में यह तर्क है कि क्योंकि ''बीमाकर्ता'' शब्द का उपयोग एस. 33 या एस. 2डी में किया गया है, वे खण्ड केवल उन बीमाकर्ताओं पर लागू हो सकते हैं, जो वास्तव में व्यवसाय कर रहे हैं आवश्यक रूप से सफल होते हैं और हमें यह देखना होगा कि क्या इनके संदर्भ में प्रावधान एक बीमाकर्ता में एक व्यक्ति भी शामिल होगा जो एक बीमाकर्ता था लेकिन उसने अपना व्यवसाय बंद कर दिया है।''

42. उपरोक्त मामले में जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा था, मामले की प्रकृति सामान्य व्याख्या से विचलन की मांग करती है, यानी एक सादे पढ़ने से, एक उद्देश्यपूर्ण पढ़ने के लिये। उपरोक्त मामले में यदि परिभाषा खण्ड में दिये गये एक सीधा अर्थ को अपनाया जाता है तो वह कानून के उद्देश्य को विफल कर देगा। इस प्रकार संदर्भ और मामले की प्रकृति के आधार पर न्यायालय को एक कानून को अर्थ देना चाहिए। ''न्यायालय को न केवल शब्दों को देखना है बल्कि संदर्भ को भी देखना है।'' (वेनगार्ड फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सुप्रा)

निष्पक्ष और न्यायसंगत लाभ साझाकरण क्या है और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का महत्व क्या है ?

43. स्वदेशी और स्थानीय समुदाय, जो या तो ''जैविक संसाधन'' विकसित करते हैं या इन संसाधनों का पारंपरिक ज्ञान रखते हैं, अधिनियम के तहत लाभार्थी हैं। इस पारंपरिक ज्ञान से अलग होने के बदले, उन्हें कुछ लाभ एफईबीएस के रूप में प्राप्त होते हैं और एफईबीएस वास्तव में यही है।

44. यह लाभ ''स्वदेशी और स्थानीय समुदायों'' को कानून के तहत मिलता है जो उनके ''जैविक संसाधनों'' के बाजार मूल्य से अधिक है।

45. लेकिन एफईबीएस की अवधारणा की पूरी तरह से सराहना के लिये हमें स्थानीय और स्वदेशी समुदायों द्वारा और उनकी ओर से अधिनियमन और लंबे संघर्ष के पीछे विधायी इतिहास में वापस जाना पड़ सकता है।

46. इस समय, यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि भारत एक ऐसा देश है, जो जैव विविधता से अत्यन्त समृद्ध है। यह दुनिया के शीर्ष 17 मेगाडाइवर्स देशों में से एक है। 1 मेगाडाइवर्स, जैसा कि शब्द से पता चलता है, का अर्थ ''महान विविधता होना'' होगा और एक मेगाडाइवर्स देश में कम से कम 5000 प्रजातियां स्थानीय पौंधों की होनी चाहिए और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सीमा होनी चाहिए। गौरतलब है कि संयुक्त राज्य

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन के अलावा, जो दुनिया के शीर्ष 17 शीर्ष मेगाडाइवर्स देशों की सूची में हैं, अकेले अपने आकार के कारण इस पूल में शेष देश विकासशील देश हैं, जैसे भारत, कोलंबिया, इक्वाडोर आदि। यह विकासशील दुनिया ही है, जिसने अपने जैविक संसाधनों के संरक्षण और इसे शोषण और विलुप्त होने से बचाने के लिये एक लंबा संघर्ष खड़ा किया है।

47. एक स्थायी जैव विविधता प्रणाली के लिये विश्व समुदाय का प्रयास मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में वापस जाता है, जिसे 1972 के स्ऑकहोम सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। यह पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के मुद्दों पर केन्द्रित था। स्टॉकहोम घोषणापत्र ने माना कि पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं और इन संसाधनों की रक्षा तत्काल करने की आवश्यकता है।

48. बीस साल बाद 1992 में विकासशील देशों के संयुक्त प्रयासों के कारण रियो डी जनेरियो के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर हस्ताक्षर किये गये, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। सम्मेलन की प्रस्तावना ने विकास के लिये और जीवन को बनाए रखने वाली प्रणालियों को बनाए रखने के लिये जैविक विविधता के महत्व को मान्यता दी और घोषित की

1. www.biodiversity-z.org

2. www.biodiversity-z.org बायोस्फीयर, और इसकी बातचीत की आवश्यकता। इसने चिंता भी जताई और दुनिया को आगाह भी किया कि अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों से जैविक विविधता में काफी कमी आ रही है। प्रस्तावना ''जैविक संसाधनों पर पारंपरिक जीवन शैली को मूर्त रूप देने वाले कई स्वदेशी और स्थानीय समुदायों की करीबी और पारंपरिक निर्भरता को भी पहचानती है, और पारंपरिक ज्ञान, नवाचारों और जैविक विविधता के संरक्षण के लिये प्रासंगिक प्रथाओं और प्रथाओं के उपयोग के समान रूप से लाभ साझा करने की वांछनीयता'' को भी पहचानती है । इसके घटकों का सतत उपयोग।

49. रियो डी जनेरियो कंन्वेंशन का पहला अनुच्छेद अपने उद्देश्यों को निम्नानुसार घोषित करता है –

''इस कन्वेंशन के उद्देश्य, इसके प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, जैविक विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत साझाकरण है, जिसमें निम्न शामिल हैं – आनुवंशिक संसाधनों तक उचित पहुंच और प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों के उचित हस्तांतरण द्वारा उन संसाधनों

और प्रौद्योगिकियों पर सभी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए और उचित खोज द्वारा।'' (जोर दिया गया)

50. दस साल बाद 2002 में विश्व समुदाय ने फिर से आन्दोलन का जायदा लिया, इस बार दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, सम्मेलन के परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई, जिसे ''सतत विकास पर जोहान्सबर्ग घोषणा, 2002'' के रूप में जाना जाता है। जोहान्सबर्ग घोषणा जैव विविधता के संरक्षण के सम्बन्ध में दुनिया में चुनौतियों का सामना करती है।

हमारे लिये जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि जोहान्सबर्ग में सतत विकास के क्षेत्र में स्वदेशी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। इसने यह भी माना कि सतत विकास के लिये नीति निर्माण, निर्णय लेने और सभी स्तरों पर कार्यान्वयन में दीर्घकालिका परिप्रेक्ष्य और व्यापक आधार वाली भागीदारी की आवश्यकता होती है। यद्यपि तकनीकी रूप से जोहान्सबर्ग घोषणा संधि नहीं हो सकती है, फिर भी यह इस आन्दोलन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

51. उसी वर्ष यानी 2002 में हमारी संसद ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को मान्यता देते हुए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 बनाया, जिसे 01.10.2003 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। अधिनियम की प्रस्तावना भारत में कानून लाने के उद्देश्य को दर्शाती है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इसलिये इसे पूर्ण रूप से पुनः प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो निम्नानुसार है–

''जैव विविधता के संरक्षण, इसके अवयवों के सतत उपयोग और जैव संसाधनों, ज्ञान के उपयोग से उद्भूत फायदों से उचित और साम्यपूर्ण हिस्सा बंटाने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये अधिनियम भारत जैव विविधता और उससे सम्बन्धित सहबद्ध पारंपरिक और समसामयिक ज्ञान पद्धति में समृद्ध है ;

और भारत 5 जून, 1992 को रियो डी जरेरो में हस्ताक्षर किये गये जैव विविधता से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में एक पक्षकार है ;

और उक्त कन्वेंशन 29 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ ;

और उक्त कन्वेंशन में राज्यों के अपने जैव संसाधनों पर सम्प्रभु अधिकारों की पुनः अभिपुष्टि की गयी है ;

और उक्त कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, इसके अवयवों का सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उद्भूत फायदों में उचित और साम्यपूर्ण हिस्सा बंटाना है ;

और आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, सतत उपयोग और उनके उपयोग से उद्‌भूत फायदों में साम्यापूर्ण हिस्सा बंटाने और उक्त कन्वेंशन को प्रभावी करने के लिये भी उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया है।''

52. इस मोड़ पर हमें नगरपालिका कानूनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों के महत्व पर जोर देना चाहिए। भारत का संविधान इस पहलू पर बल देता है। संविधान का अनुच्छेद 51 (सी) निम्नानुसार बताता है –

''51. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राज्य इसके लिये प्रयास करेगा –

(ए) .....

(बी) .....

(सी) एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के दायित्वों के लिये सम्मान को बढ़ावा देना।''

53. टीएन गोडावर्मन बनाम भारत संघ (2002) 10 एससीसी 606 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों के महत्व पर जोर दिया है :

''पर्यावरण की रक्षा के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सरकार पर कर्तव्य डाला गया है और पर्यावरण के कानून को नियंत्रित करने वाले दो हितकारी सिद्धांत हैं : (1) सतत विकास के सिद्धांत और (2) एहतियाती सिद्धांत। यहां इस बात पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है कि जैविक विविधता पर कन्वेंशन को हमारे देश ने स्वीकार कर लिया है और इसलिये, उसे इसे लागू करना होगा। जैसा कि इस न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में देखा था। घरेलू कानून और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बीच किसी भी तरह की असंगति के अभाव में न्यायिक निर्माण का नियम यह है कि घरेलू कानून के निर्माण में भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मानदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।''

54. परिधान निर्यात संवर्धन परिषद बनाम एके चोपड़ा (1999) 1 एससीसी 759 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार देखा है –

''ये अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज भारतीय राज्य पर अपने कानूनों को लिंग–संवेदनशील बनाने के लिये एक दायित्व डालते हैं और अदालतें यह देखने के लिये बाध्य हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों के संदेश को डूबने की अनुमति नहीं है। इस अदालत ने कई मामलों में इस बात पर जोर दिया है कि चर्चा करते समय संवैधानिक आवश्यकताओं, न्यायालय और अधिवक्ता को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और उपकरणों में सन्निहित मूल सिद्धांत को कभी नहीं भूलना चाहिए और जहां तक संभव हो, उन अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों में निहित

सिद्धांतों को प्रभावी बनाना चाहिए। अदालतें घरेलू कानूनों के निर्माण के लिये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मानदण्डों को उचित सम्मान देने के लिये बाध्य हैं, खासकर जब उनके बीच कोई असंगतता नहीं है और घरेलू कानून में कोई कमी नहीं है।''

55. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ और अन्य (2014) 5 एससीसी 438 में रिपोर्ट किये गये मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार देखा है –

''अनुच्छेद 51, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, को संविधान के अनुच्छेद 253 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यदि संसद ने कोई कानून बनाया है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरोध में है, तो भारतीय अदालतें भारतीय कानून को लागू करने के बजाय भारतीय कानून को लागू करने के लिये बाध्य हैं।'' अंतर्राष्ट्रीय कानून, हालांकि एक विपरीत कानून की अनुपस्थिति में भारत में नगरपालिका अदालतें अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का सम्मान करेंगी। केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य में यह कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 51 के मध्येनजर, न्यायालय संयुक्त राष्ट्र चार्टर और भारत द्वारा इसकी सदस्यता लेने वाली गंभीर घोषणा के आलोक में संविधान की भाषा की व्याख्या करनी चाहिए, यदि यह असाध्य नहीं है। अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम एके चोपड़ा में यह बताया गया था कि घरेलू अदालतें घरेलू कानूनों के निर्माण के लिये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मानदंण्डों को उचित सम्मान देने के लिये बाध्य हैं, खासकर जब उनके बीच कोई असंगतता नहीं है और वहां घरेलू कानूनों में एक शून्य है। गीता हरिहरन बनाम आरबीआई में इस न्यायालय के निर्णयों का भी संदर्भ लिया जा सकता है। आरडी उपाध्याय बनाम एपी राज्य और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ।''

56. कॉमरेड के मामले में हाल के एक फैसले में सीमा शुल्क बनाम जीएम निर्यात (2016) 1 एससीसी 91 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले के पैरा 23 में इस पहलू का सारांश दिया है, जो निम्नानुसार है–

''23. पूर्वोक्त प्राधिकारियों के एक विवरण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलेंगे –

(1) भारत के संविधान का अनुच्छेद 51(सी) राज्य नीति का एक निदेशक सिद्धांत है जो बताता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिये सम्मान को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। नतीजतन, अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम जो घरेलू कानून के विपरीत नहीं हैं, इस देश में अदालतों द्वारा पालन किये जाते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संधि

होती है जिसका भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है या अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य नियम लागू होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि घरेलू कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच कोई विरोध होता है, तो घरेलू कानून प्रबल होगा।

(2) ऐसी स्थिति में जहां भारत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिये एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है, और उक्त संधि के अनुसार एक कानून पारित किया गया है, यह ऐसी कानून के प्रावधानों के निर्माण के लिये एक वैध सहायता है जो सहारा लेने के लिये अस्पष्ट या स्पष्ट है संधि के प्रावधानों के अनुरूप अर्थ के पक्ष में ऐसी अस्पष्टता को हल करने के लिये संधि की शर्तों के लिये।

(3) ऐसी स्थिति में जहां भारत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिये एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है और इस तरह की संधि को आगे बढ़ाने के लिये एक कानून बनाया गया है, ऐसी कानून के संकीर्ण शाब्दिक निर्माण के बजाय एक उद्देश्यपूर्ण निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है। इस तरह की कानून की व्याख्या को सामान्य स्वीकृति के व्यापक सिद्धांतों पर लगाया जाना चाहिए न कि पहले के घरेलू उदाहरणों के बजाय जिसका उद्देश्य संधि के दायित्वों को पूरा करना है और उनके साथ असंगत नहीं होना चाहिए।

(4) ऐसी स्थिति में जिनमें भारत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिये एक हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है और एक संधि बाध्यता को लागू करने के लिये एक कानून बनाया गया है और यदि ऐसी कानून की भाषा और संधि के प्रावधान के बीच कोई अंतर है तो वैधानिक भाषा को उसी अर्थ में समझा जाना चाहिए जो संधि की है। यह इस कारण से है कि ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा जो हासिल करने की मांग की जाती है वह कानून का एक समान अंतर्राष्ट्रीय कोड है जिसे सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों की अदालतों द्वारा इस तरीके से लागू किया जाता है जिससे सभी देशों में समान परिणाम प्राप्त होता है। यह इन सिद्धातों के प्रकाश में है कि हमें अब कानून की जांच की करनी चाहिए।''

57. उपरोक्त के आलोक में हमें 2002 के अधिनियम के महत्व को समझना होगा क्योंकि हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का परिणाम है।

58. भारत 05 जून 1992 को रियो में हस्ताक्षरित जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में एक पक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय संधि का हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते भारत संधि के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिये बाध्य था। रियो कन्वेंशन का अनुच्छेद 8 इन सीटू संरक्षण से सम्बन्धित है। अनुच्छेद 8 (जे) और (के) यहां हमारे उद्देश्यों के लिये प्रासंगिक हैं। यह निम्नानुसार

पढ़ता है–

''अनुच्छेद 8 इन सीटू संरक्षण प्रत्येक अनुबंधित पक्ष जहां तक संभव हो और उपयुक्त हो –

(ए).....

(बी).....

(सी).....

(डी).....

(ई).....

(एफ).....

(जी).....

(एच).....

(आई).....

(जे) अपने राष्ट्रीय कानून के अधीन जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिये प्रासंगिक पारम्परिक जीवन शैली को अपनाने वाले स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के ज्ञान, नवाचारों और प्रथाओं का सम्मान, संरक्षण और रखरखाव और धारकों की स्वीकृति और भागीदारी के साथ उनके व्यापक अनुप्रयोग को बढ़ावा देना इस तरह के ज्ञान, नवाचारों और प्रथाओं के बारे में और ऐसे ज्ञान, नवाचारों और प्रथाओं के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के समान बंटवारे को प्रोत्साहित करना।

(के) संकटग्रस्त प्रजाजियों और आबादी के संरक्षण के लिये आवश्यक कानून और/या अन्य नियामक प्रावधानों को विकसित या बनाए रखना।''

59. आगे रियो कन्वेंशन का अनुच्छेद 15 सम्बन्धित है, आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच। उपरोक्त अनुच्छेद के खण्ड (1) और (7) निम्नानुसार पढ़ें –

''अनुच्छेद 15 आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच

1. अपने प्राकृतिक संसाधनों पर राज्यों के संप्रभु अधिकारों को मान्यता देते हुए आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रीय सरकारों के पास है और यह राष्ट्रीय कानून के अधीन है।

2. .....

3. .....

4. .....

5. .....

6. .....

7. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष उचित और समान रूप से साझा करने के

उद्देश्य से अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा स्थापित वित्तीय तंत्र के माध्यम से, और जहां आवश्यक हो, विधायी, प्रशासनिक या नीतिगत उपाय करेगा, और अनुच्छेद 16 और 19 के अनुसार जिस तरह से अनुसंधान और विकास के परिणाम और अनुवांशिक संसाधनों के वाणिज्यिक और अन्य उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभ ऐसे संसाधनों को प्रदान करने वाली अनुबन्ध पार्टी के साथ ऐसा साझाकरण परस्पर सहमत शर्तों पर होगा।''

60. रियो कन्वेंशन का हस्ताक्षकर्ता होने के नाते भारत संधि के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिये देश में उपयुक्त कानून लाने के लिये प्रतिबद्ध था। इसी पृष्ठभूमि और इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं पर संसद ने 2002 में जैविक विविधता अधिनियम बनाया।

61. एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का यहां उल्लेख किया जाना चाहिए, जो जैविक विविधता पर कन्वेंशन के लिये संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल है। 2010 का नागोया प्रोटोकॉल जैविक विविधता पर 1992 के रियो डी जनेरियों कन्वेंशन का एक पूरक समझौता है।

62. पुनरावृत्ति की कीमत पर भी यह कहा जाना चाहिए कि जैविक विविधता के संरक्षण के तीन मुख्य स्तंभ या उद्देश्य हैं। पहला है जैविक विविधता का संरक्षण, दूसरा हे इसके घटकों का सतत उपयोग और तीसरा हे आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा। 2010 का नागोया प्रोटोकॉल तीसरे घटक (जिसके साथ हम वर्तमान में चिंतित हैं) पर केंद्रित है, जो आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों सहित आनुवंशिक सामग्री का उचित और न्यायसंगत साझाकरण है।

63. नागोया प्रोटोकॉल की प्रस्तावना, अन्य बातों के साथ, ''बातचीत में इक्विटी और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के महत्व और आनुवंशिक संसाधनों के परदाताओं और उपयोगकर्ताओं के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों'' को मान्यता देती है। इसने ''जैव विविधता संरक्षण के लिए नीति–निर्माण और कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण भागीदारी की आवश्यकता की पहुंच और लाभ–साझाकरण और पुष्टि करने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को भी मान्यता दी। नागोया प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 5 में उचित और सामान लाभ साझाकरण का वर्णन किया गया है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

'अनुच्छेद–5 उचित और न्यायसंगत लाभ साझाकरण

कन्वेशन के अनुच्छेद 15, पैराग्राफ 3 और 7 के अनुसार, अनुवांशिक संसाधनों के उपयोग के साथ–साथ बाद के अनुप्रयोगों और व्यावसायीकरण से उत्पन्न होने वाले लाभों को उचित और न्यायसंगत तरीके से ऐसे संसाधन प्रदान करने वाली पार्टी के साथ साझा किया जाएगा, जो कि देश है ऐसे संसाधनों की उत्पत्ति या एक पार्टी जिसके कन्वेंशन के अनुसार अनुवांशिक संसाधनों का अधिग्रहण किया है। ऐसा साझाकरण पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर होगा।

2. प्रत्येक पक्ष लेगा विधायी, प्रशासनिक या नीति इन आनुवंशिक संसाधनों पर इन स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के स्थापित अधिकारों के संबंध में घ ारेलू कानून के अनुसार स्वदेशी और स्थानीय समुदायों द्वारा धारित आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को साझा करने के उद्देश्य से उपयुक्त उपाय पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के आधार पर संबंधित समुदायों के साथ उचित और न्यायसंगत तरीके से।

3. उपरोक्त अनुच्छेद 1 को लागू करने के लिए, प्रत्येक पक्ष उपयुक्त विधायी, प्रशासनिक या नीतिगत उपाय करेगा।

4. लाभों में मौद्रिक और गैर मौद्रिक लाभ शामिल हो सकते हैं, जिनमें संलग्रक में सूचीबद्ध लाभ शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

5. प्रत्येक पक्ष उपयुक्त विधायी, प्रशासनिक या नीतिगत उपाय करेगा, ताकि आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से साझा किया जा सके। ऐसा साझाकरण परस्पर सहमत शर्तों पर होगा।''

64. इस एफईबीएस के लाभार्थी कौन है ? यहां प्रोटोकॉल ''स्थानीय और स्वदेशी समुदायों'' की बात करता है। वे ही हैं, जिन्हें इस सुरक्षा की आवश्यकता है और वे ही हैं, जो नागोया में चिंता के केंद्र मे ंथे।

65. नागोया कन्वेंशन का अनुच्छेद 7 निम्नानुसार हैः–

''पारम्परिक तक पहुंच ज्ञान से जुड़ा हुआ है आनुवंशिक संसाधन घरेलू कानून के अनुसार, प्रत्येक पक्ष यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य उपाय करेगा कि स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के पास आनुवांशिक संसाधनों से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान इन स्वदेशी और स्थानीय समुदायों की पूर्व और सूचित सहमति या अनुमोदन और भागीदारी के साथ उपलब्ध है और वह पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें स्थापित की गई है।''

66. नागोया प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 12 निम्नानुसार हैः–

''पारंपरिक ज्ञान जेनेटिक से जुड़ा हुआ है संसाधन

1. इस प्रोटोकॉल के तहत अपने दायित्वों को लागू करने में, पाटियां घरेलू कानून के अनुसार आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान के संबंध में स्वेदशी और स्थानीय समुदायों के प्रथागत कानूनों, सामुदायिक प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं को धान में रखेगी।

2. पक्ष, संबंधित स्वेदशी और स्थानीय समुदायों की प्रभावी भागीदारी के साथ, आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान के संभावित उपयोगकर्ताओं को उनके दायित्वों के बारे में सूचित करने के लिए तुरंत स्थापिक करेंगे, जिसमें पहुंच और लाभ साझाकरण क्लीयरिंग हाउस के माध्म से उपलब्ध उपाय शामिल है। इस तरह के ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों तक पहुंच और उचित और न्यायसंगत साझाकरण।

3. पक्ष इन समुदायों के भीतर महिलाओं सहित, स्वदेशी और स्थानीय समुदायों द्वारा विकास के लिए जैसा उपयुक्त हो, समर्थन करने का प्रयास करेंगे, (ए) आनुवांशिक से जुड़े पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच के संबंध में सामुदायिक प्रोटोकॉल संसाधनों औश्र ऐसे ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा, (बी) आनुवांशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और समान बंटवारे को सुरक्षित करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के लिए न्यूनतम आवश्यकताए और (सी) अनुवांशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न लाभ साझाकरण के लिए मॉडल संविदात्मक खण्ड।

पाटियां, इस प्रोटोकॉल के अपने कार्यान्वयन में, जहां तक संभव हो, कन्वेंशन के उद्देश्यों के अनुसार स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के भीतर और उनके बीच आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान के पारंपरिक उपयोग और आदान प्रदान को प्रतिबंधित नहीं करेगी।

67. नागोया प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 निम्नानुसार हैः–

''घरेलू कानून का अनुपालन या पहुंच और लाभ–साझाकरण पर नियामक आवश्यकताएं–

1. प्रत्येक पक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए उचित, प्रभावी और आनुपातिक विधायी, प्रशासनिक या नीतिगत उपाय करेगा कि उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर उपयोग किये जाने वाले आनुवंशिक संसाधनों को पूर्व सूचित सहमति के अनुसार एक्ससे किया गया है और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों को स्थापित किया गया है, जैसा कि घरेलू पहुंच के लिए आवश्यक है और लाभ साझाकरण कानून या दूसरे पक्ष की नियामक आवश्यकताए।

2. पार्टियां उपरोक्त पैरा 1 के अनुसार अपनाए गये उपायों के अनुपालन न

करने की स्थितियों को दूर करने के लिए उचित, प्रभावी और अनुपातिक उपाय करेगी।

3. पार्टियां, उपरोक्त पैरा–1 में उल्लिखित विनियामक आवश्यकताएं।

68. कन्वेशन का अनुच्छेद 16 निम्नानुसार हैः– ''घरेलू के साथ अनुपालन विधान या नियामक पहुंच पर आवश्यकताएं और पारंपरिक के लिए लाभ साक्षा करना। आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ा ज्ञान

1. प्रत्येक पक्ष उचित, प्रभावी और आनुपातिक विधायी, प्रशासनिक या नीतिगत उपाय करेगा, जो उपयुक्त हो, यह प्रदान करने के लिए कि उनके अधिकार क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले आनुवंशिक संसाधनो से जुड़े पारंपरिक ज्ञान को पूर्व सूचित सहमति या अनुमोदन और स्वदेशी और भागीदारी के अनुसार एक्सेस किया गया है। स्थानीय समुदाय और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें स्थापित की गई है, जैसा कि घरेलू पहुंच और लाभ साझाकरण कानून या दूसरे पक्ष की नियामक आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक है, जहां ऐसे स्वदेशी और स्थानीय समुदाय स्थित है।

2. प्रत्येक पक्ष उपरोक्त पैरा 1 के अनुसार उपनाए गए उपायों के गैर अनुपालन की स्थितियों को दूर करने के लिए उचित, प्रभावी और समानुपातिक उपाय करेगा।

3. पार्टियां, जहां तक संभव हो और उपयुक्त हो, उपर पैरा 1 में संदर्भित घ रेलू पहुंच और लाभ साझाकरण कानून या नियामक आवश्यकताओं के कथित उल्लंघन के मामलों में सहयोग करेंगी।

69. अनुच्छेद 21 तक 'स्वदेशी और स्थानीय समुदायों' के बारे में जागरूकता बढ़ाने की बात करता है। यह निम्नानुसार पढ़ता हैः–

''जागरूकता बढ़ाना प्रत्येक पक्ष आनुवंशिक संसाधनों के महत्व और आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान और संबंधित पहुंच और लाभ साझाकरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उपाय करेगा। ऐसे उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हो सकते हैं–

(ए) इस प्रोटोकॉल का प्रचार, इसके उद्देश्यच सहित

(बी) स्वदेशी और स्थानीय समुदायों और प्रासंगिक हितधारकों की बैठकों का आयोजन,

(सी) स्वदेशी और स्थानीय समुदायों और संबंधित हिसधारकों के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना और रखरखाव

(डी) एक राष्ट्रीय समाशोधन गृह के माध्यम से सूचना प्रसार,

(ई) स्वदेशी और स्थानीय समुदायों और प्रासंगिक हिसधारकों के परामर्श से स्वैच्छिक आचार संहिता, दिशानिर्देशों और सर्वोत्तम प्रथाओं और/या

मानको को बढ़ावा देना।

(एफ) अनुभव के घरेलू, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय आदान प्रदान को बढ़ावा देना जैसा उपयुक्त हो,

(छ) आनुवंशिक संसाधनों के उपयोगकर्ताओं और प्रदाताओं की शिक्षा और प्रशिक्षण और उनकी पहुंच और लाभ साझाकरण दायित्वों के बारे में अनुवांशिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान

(ज) इस प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में स्वदेशी और स्थानीय समुदायों और प्रासंगिक हितधारकों की भागीदारी और

(आई) स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के सामुदायिक प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं के कबारे में जागरूकता बढ़ाना।

70. नागोया प्रोटोकॉल के उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करते हें कि एफईबीएस ''स्थानीय और स्वदेशी समेदायों'' के लाभ के लिए है।

71. हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हम पाते हैं कि जैसे जैविक विविधता अधिनियम, 2002, 1992 के रियो कंवेंशन का अनुवर्ती है, उसी तरह 2014 के विनियम, नागोया प्रोटोकॉल का एक परिणाम है। विनियमों द्वारा नागोया में प्रतिबद्धताओं को लागू किया जा रहा है। वास्तव में 2014 विनियमों की प्रस्तावना में उल्लेख है कि विनियम नागोया प्रोटोकॉल के अनुसरण में है।

72. एफईबीएस की अवधारणा, जैसा कि हमने देखा है ''स्थानीय और स्वदेशी समुदायों के लाभों पर केंद्रित है और नागोया प्रोटोकॉल एक विदेशी इकाई और भारतीय इकाई के बीच कोई अंतर नहीं करता है, स्थानीय और स्वदेशी के प्रति उनके दायित्व के संबंध में इस संबंध में समुदायों।नतीजतन राष्ट्रीय कानून में ''अस्पष्टताओं'' को अंतर्राष्ट्रीय संधियों यानी रियो और नागोया के आलोक में देखा जाना चाहिए और एक संकीर्ण या शाब्दिक व्याख्या के बजाय एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए, अगर हमे एफईबीएस के सही अर्थ पर पहुंचना है, हमारे मामले में जैविक विविधता अधिनियम 2002 को न केवल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि को आगे बढ़ने के लिए अधिनियम किया गया है, बल्कि यह एक संधि दायित्व को लागू करने के लिए और इसलिए नगरपालिका की भाषा के बीच कोई अंतर होने की स्थिति में जैविक संसाधनों तक पहुंच और संबंधित ज्ञान और लाभ साझाकरण विनियमों पर दिशानिर्देश, 2014।

कानून और संधि के संबंधित प्रावधार, ''वैधानिक भाषा को उसी अर्थ में समझा जाना चाहिए जो संधि की है। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कॉमर में आयोजित किया गया है। सीमा शुल्क बनाम जीएम निर्यात।

73. इस आंदोलन के पूरे इतिहास को देखने के बाद, जो कि जैविक विविधता के संरक्षण की दिशा में एक आंदोलन है, यह महसूस होता है कि इस आंदोलन के पीछे मुख्य बल जिसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और अंत में नगरपालिका विधान, संरक्षण है, जो इस विशेष क्षेत्र में विकसित देशों में विकासशील देशों की आवश्यकता है। फिर भी नागोया, प्रोटोकॉल में ''स्वदेशी और स्थानीय समुदायों'' के अधिकार अंतय महत्वपूर्ण और सशक्त रूप से घोषित किए गए थे। इन अधिकारों को बाहर और भीतर से समान रूप से संरक्षित किया जाना है।

74. नागोया प्रोटोकॉल का फोकस एफईबीएस पर है और स्वदेशी और स्थानीय समुदायों की सुरक्षा है और प्रयास यह है कि स्वदेशी और स्थानीय समुदायों को अपने पारम्परिक ज्ञान और संसाधनों के साथ उचित और न्यायसंगत हिस्सा मिलना चाहिए। भारत रियो और नागोया प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते अपनी अंतराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और एफईबीएस के कार्यान्वयन को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए बाध्य है।

75. यह कहने के बाद हालांकि, अगर हम अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ते हैं, जैसा कि इस न्यायालय के समक्ष पढ़ा गया है।

1. (2016) 1 एसीसी 91, पृष्ठ 115–116 याचिकाकर्ता शूरी पार्थसारथी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा, यानी यदि हम प्रावधानों का एक सादा पठन करते हैं और प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के लिए एक बहुत ही रूढ़िवादी और पाठय दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम पाएंगे कि अधिनियम एक के बीच अंतर करता है जहां तक एफईबीएस का संबंध है, ''विदेशी इकाई'' और ''घरेलू इकाई'', खासकर जब हम एफईबीएस की परिभाषा पढ़ते हैं, लेकिन क्या यह सही तरीका होगा।

76. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई एक सरल पाठ्य व्याख्या वास्तव में यह दर्शाएगी कि याचिकाकर्ता जो एक विदेशी संस्था नहीं है, एफईबीएस में योगदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है और एफईबीएस लगाने की शक्तियां केवलन एनबीए के पास है।

77. लेकिन फिर यहां एक सादा और पाठय व्याख्या उस उद्देश्य को पराजित करती है, जिसके लिए कानून बनाया गया था। उद्देश्यपूर्ण व्याख्या

78. इस न्यायालय के समक्ष पूरा विवाद अंततः जैविका विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों की व्याख्या के ईद–गिर्द घूमता है, जैसे कि ''उचित और समान लाभ साझा करना'' क्या है और क्या राज्य जैव

विविधता बोर्ड द्वारा ऐसी मांग की जा सकती है, या ऐसी शक्तियां राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकती है। वर्षों से न्यायालय ''व्याख्या'' के एक सिद्धांत पर भरोसा करते रहे हैं, जिसे अब ''कानून की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या'' के रूप में जाना जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ''उद्देश्यपूर्ण व्याख्या'' के सिद्धांत को न केवल संविधान की अपनी व्याख्या में, बल्कि सामान्य विधियों की अपनी व्याख्या में भी लागू किया है।

79. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम सहायक भविष्य निधि आयुक्त और अन्य (2009) 10 एससीसी 123 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीश खण्डपीठ के पास कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधानों के कुछ प्रावधानों की जांच करने का अवसर था। प्रावधान अधिनियम 1952। चूंकि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 एक सामाजिक कल्याण कानून था, यह माना गया था कि अधिनियम की मूल उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग यानी श्रमिकों के हितों की रक्षा करना था, न्यायालय को ''संविधान के अनुच्छेद 38 और 43 में सन्हित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धातों को ध्यान में रखते हुए उसमें निहित प्रावधानों को एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करनी चाहिए।''

80. फिर से शैलेश धैर्यवान बनाम मोहन बालकृष्ण लुल्ला के मामले में (2016) 3 एससीसी 619 में, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, न्यायमूर्ति सीकरी ने अपनी सहमति में, अलग निर्णय के बावजूद, अहरोन के मौलिक कार्य पर भरोसा किया। बराक और ''उद्देश्यपूर्ण व्याख्या'' के सिद्धांत को लागू किया।

81. हाल ही में सरकार (एनसीटी ऑफ दिल्ली) बनाम भारत संघ और अन्य (2018) 8 एससीसी 501 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अनुच्छेद 239एए की व्याख्या के विवादास्पद मुद्दे की जांच की और भारत के संविधान का अनुच्छेद 239 एबी जो एक ओर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अहरोन बराक कानून में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या (प्रिस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस 2005) के बीच विवाद का एक कारण था और मंत्री जो चुने गये प्रतिनिधि थे। दूसरी ओर दिल्ली के मतदाता और इस मुद्दे को फिर से तय करते समय कानून की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या पर भरोसा किया गया।

82. उपरोक्त मामले में (दिल्ली सरकार के एनसीटी) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांत पर जोर देने के लिए बार–बार अहरोन बराक को उद्धृत किया और सर्वोच्च न्यायालय के

पहले के मामलों को हवाला दिया, जहां अदालत ने अधिक भरोसा किया कानून का उद्देश्य बल्कि कानून की स्पष्ट भाषा।

83. यह सच है कि उपरोक्त मामले में संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय कानून की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत लागू किया गया था, लेकिन यह कहा जाना चाहिए कि सामान्य कानूनों की व्याख्या करते समय उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का सिद्धांत समान रूप से लागू होता है। वास्वत में सोद्देश्य व्याख्या का सिद्धांत न केवल संविधान और कानूनों की व्याख्या में लागू होता है, बल्कि वसीयत या अनुबंध की व्याख्या में भी लागू होता है।''

84. अब मैं इस संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय पर आता हूं, जिसके अक्सर इस क्षेत्र में लोकस क्लासिक्स माना जाता है। संदर्भ कनाड़ा के सुप्रीम कोट र्क के एक फैसले का है, जो एक कंपनी के पूर्व कर्मचारियों द्व ारा दायर अपील में दिया गया था। मामले को आमतौर पर उस कम्पनी केनाम से संदर्भित किया जाता है जो कि Rizzo & Rizzo Shoes Limited (इसके बाद Rizzo के रूप में संदर्भित) है। (अहरोन बराक, कानून में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या (प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 2005) 1998 एससीसी ऑनलाइन केन एससी 4: (1998) 1 एससीआर 27

85. तथ्यों को पहले बताया जाना चाहिए Rizzo & Rizzo Shoes Limited के पासपूरे कनाडा में रिटेल शू स्टोर की श्रृंखला का स्वामित्व और संचालन है। अप्रैल 1989 में, एक लेनदार द्वज्ञरा कंपनी के खिलाफ दिवालियापन याचिका दायर की गई थी। इसके बार Rizzo की सम्पत्ति पर आदेश प्राप्त हुए और Rizzo के कर्मचारियों का रोजगार समाप्त हो गया। रिजों की सम्पत्ति के लिए ट्रस्टी नियुक्त किया गया था और ट्रस्टी ने आदेश प्राप्त करने की तिथि तक रिजो के कर्मचारियों द्वारा अर्जित सभी मजदूरी, वेतन, कमीशन और अवकाश वेतन का भुगतान किया था।

86. नवम्बर, 1989 में, ओंटारियों प्राप्त के श्रम मंत्रालय के रिजो के पूर्व कर्मचारियों की ओर से ट्रस्टी के समक्ष समाप्ति वेतन और अवकाश वेतन के लिए दावा किया। इस दावे को ट्रस्टी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि यह राय थी कि नियोक्ता के दिवालियापन का मतलब सेवा रोजगार से बर्खास्तगी नहीं है और इसलिए रोजगार मानक अधिनियम के तहत विच्छेद, समाप्ति या अवकाश वेतन का कोई अधिकार नहीं बनता है।

87. श्रम मंत्रालय ने ओंटारियों कोर्ट (जनरल डिवीजन) में अपील की, जिसमें ट्रस्टी के आदेश को रद्द करने हुए उसके दावे को स्वीकार कर

लिया। हालांकि, बाद में अपील की अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया और ट्रस्टी के फैसले को बहाल कर दिया। चूंकि मामले को श्रम मंत्रालय द्वारा आगे नहीं बढ़ाया गया था, रिजो के पांच पूर्व कर्मचारियों ने अपने दावे के लिए कनाड़ा के सर्वोच्च न्यायालय का रूख किया और यह उपरोक्त तथ्यों पर भा कि कनाडा की सर्वोच्च अपीलीय अदालत को उनके दावे का फैसला करना था।

88. कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से यह मामला दो विधियों की व्याख्या का था।

(ए) रोजगार मानक अधिनियम (इसके बार इएसए के रूप में संदर्भित) और (बी) दिवालियापन अधिनियम (इसके बाद बीए के रूप में संदर्भित)। हमारे उद्देश्य और समझ के लिए यह जानना पर्याप्त हो सकता है कि ई0एस0ए0 ने कर्मचारियों को उनके रोजगार की समाप्ति की स्थिति में कुछ लाभ दिए जैसे समाप्ति ओर विच्छेद वेतन। दूसरी ओर, दिवालियापन की स्थिति में बीएने एक नियोक्ता की रक्षा की । फैसले के पैरा 20 में खुद सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में, संघर्ष के केंद्र में वैधानिक व्याख्या का मुद्दा है। पैरा–20 निम्नानुसार पढ़ात हैः–

''इस संघर्ष के क्रेद्र में वैधानिक का एक मुद्दा है। कोर्ट ऑफ अपील के विष्कर्षों के अनुरूप, यहां प्रावधानों के शब्दों का सीधा अर्थ उन नियोक्ताओं को समाप्ति और विच्छेद वेतन का भुगतान करने के दायिव्त को प्रतिबंधित करता प्रतीत होता है। जिन्होंने अपने कर्मचारियों के रोजगार को सक्रिय रूप से समाप्त कर दिया है। पहले ब्लश में, दिवालियापन इस व्याख्या में आराम से फिट नहीं होता है। हालांकित, संबंध में, मेरा मानना है कि यह विश्लेषण अधूरा है।''

89. इसके बाद इसने जोर दिया कि प्रावधान का एक सादा अर्थ लेने के बजाय, उद्देश्य और उद्देश्य को देखने के लिए उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता है यानि ईएसए और इसने निम्नानुसार कहाः

''मेरी राय में, परिणाम या प्रभाव जो अपील के न्यायालय से उत्पन्न होते है एसएस की व्याख्या ईएसए के 40 और 40ए अधिनियम के उद्देश्य और समाप्ति और विच्छेद वेतन प्रावधानों दोनों के साथ असंगत है। वह वैधानिक व्याख्या का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि विधायिका बेतुका परिणाम उत्पन्न करने का इरादा नहीं रखती है। कोटे, सुप्रा के अनुसार, एक व्याख्या को बेतुका माना जा सकता है यदि यह हास्यास्पद या तुच्छ परिणामों की ओर ले जाता है, यदि यह अत्यंत अनुचित या असमान है, यदि यह अतार्किक या असंगत है या यदि यह अन्य प्रावधानों के साथ या इसके उद्देश्य के साथ

असंगत है। विधायी अधिनियमन (पृष्ठ 378–80 पर)

28. विचारण न्यायाधीश ने उचित रूप से नोट किया कि यदि दिवालिएपन की परिस्थितयों में इएसए समाप्ति और पृथक्करण वेतन प्रावधान लागू नहीं होते है, तो वे कर्मचारी ''सौभाग्यशाली'' है, जिन्हें दिवालिएपन से एक दिन पहले बर्खास्त कर दिया गया था, ऐसे भुगतानों के हकदार होंगे, लेकिन जिन्हें समाप्त कर दिया गया है, जिस दिन दिवालियापन अंतिम हो जाता है, वह इतना हकदार नहीं होगा। मेरे विचार में इस परिणाम की बेरू खी एक संधीकृत कार्यस्थल में विशेष रूप से स्पष्ट है, जहां ले ऑफ के आदेश को निर्धारित करने में वरिष्ठता एक कारक है। कर्मचारी जितना अधिक वरिष्ठ होता है, उसने नियोक्ता में उतना ही बड़ा निवेश किया होता है बर्खास्तगी और विच्छेद वेतन का महान अधिकार। हालांकि, यह अधिक वरिष्ठ कर्मचारी है, जो दिवालिएपन के समय तक नियोजित होने की सम्भावना रखते हैं और जो इन भुगतानों के लिए अपने अधिकारों को खो देंगे।''

90. अंततः न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

''जैसा कि मैं मामले को देखत हूं, अब ईएसए के एसएस 40 और 40ए के व्यक्त शब्दों की उनके पूरे संदर्भ में जांच की जाती है, तो इस निष्कर्ष के लिए पर्याप्त समर्थन है कि'' नियोक्ता द्वारा समाप्त ''शब्दों की व्याख्या की जानी चाहिए ताकि समाप्ति की जानी चाहिए ताकि समाप्ति परिणाम शामिल को नियोक्ता के दिवालियापन से लाभ के लिए उपयुक्त व्याख्या के लिए व्यापक और उदार दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए कानून प्रदान करना, मेरा मानना है कि ये शब्द यथोचित रूप से उस निर्माण को सहन कर सकते हैं (देखे आर0वी0जोड, (डीए)1) (1992) 2 एससीआर 1025)। मैं यह भी नोट करता हूं कि विधानमंडल का इरादा जैसा कि एस मे ंप्रमाति है। ईएसएए का 2(3), स्पष्ट रूप से इस व्याख्या का समर्थन करता है। इसके अलावा, मेरी राय में, कर्मचारियों को ईएसस समाप्ति और विच्छेद भुगतान का दावा करने का अधिकार देने से इंकार करना, जहां उनकी समाप्ति उनके नियोक्ता के दिवालियापन के परिणामस्वरूप हुई है, समाप्ति और पृथक्करण वेतन प्रावधानों के उद्देश्य के साथ असंगत होगा और ईएसए की वस्तु को कमजोर करेगा, अर्थात अधिक से अधिक कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना।

मेरे विचार में, रोजगार की समाप्ति के पीछे की प्रेरणा का बर्खास्त कर्मचारी की बेरोजगारी के कारण अचानक हुई आर्थिक अव्यवस्था से निपटने की क्षमता पर कोई असर नहीं है। चूंकि बर्खास्त किए गए सभी कर्मचारियों को

ईएसए द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा की समान रूप से आवश्यकता होती है इसलिए कर्मचारियों के बीच कोई भी भेद जिसका बर्खास्तगी उनके नियोक्ता के दिवालियापन के परिणामस्वरूप हुई और जिन्हें किसी अन्य कारण से बर्खास्त किया गया है, वे मनमाने और असमान होंगे। इसके अलावा, मेरा मानना है कि इस तरह की व्याख्या ईएसए के सही अर्थ, मंशा और भावना को पराजित करेगी। इसलिए मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि किसी नियोक्ता के दिवालिएपन के परिणामस्वरूप समाप्ति एस के अनुसार दिवालिएपन में साबित होने वाले असुरक्षित दावे को जन्म नहीं देती है। एसएस के अनुसार समाप्ति और पृथक्करण वेतन के लिए बीए का 121। ईएसए के 40 और 40ए। इस निष्कर्ष के कारण, मुझे एस की प्रयोज्यता के रूप में ट्रायल जज के वैकल्पिक निष्कर्ष को संबोधित करना आवश्यक नहीं लगता। ईएसए का 7(5)।

91. कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा कि कर्मचारियों पर ईएसए का लाभ मिलता है इसलिए एक लाभकारी कानून होने के नाते इसकी व्यापक और उदार तरीके से व्याख्या की जानी चाहिए। भाषा की कठिनाइयों से उत्पन्न किसी भी संदेह का समाधान दावेदार के पक्ष में किया जाना चाहिए। ''अंत में कानून की योजना के संबंध में, चूंकि ईएसए कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम लाभ और मानक प्रदान करने के लिए तंत्र है, इसे लाभ प्रदान करने वाले कानून के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस प्रकार इसके कई निर्णयों के अनुसार न्यायालय, इसकी व्यापक औश्र उदार तरीके से व्याख्या की जानी चाहिए। भाषा की कठिनाइयों से उत्पन्न होने वाले किसी भी संदेह को दावेदार के पक्ष में हल किया जाना चाहिए।

92. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि कानून की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाती है जब कानून, जिसमें व्याख्या की आवश्यकता होती है, सामाजिक या आर्थिक रूप से लाभकारी कानून है। यहां इस मामले में यह स्पष्ट है कि एफईबीएस की अवधारणा के पीछे ''स्थानीय और स्वदेशी समुदायों'' के लिए विधायिकाओं की चिंता निहित है। एफईबीएस एक ''शुल्क'' के रूप में या किसी अन्य माध्यम से अधिनियम और विनियमों द्वारा स्वदेशी और स्थानीय समुदायों को दिया जाने वाला एक लाभ है, जिसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय संधियों के आलोक में जांचना होगा जहां एफईबीएस का महत्व है। समझाया गया है।

93. स्थानीय और स्वदेशी समुदायों के लिए एफईबीएस लागू करने को एक उदाहरण के रूप में सराहा जा सकता है। उत्तराखण्ड में वस्तुतः सम्पूर्ण मध्य हिमालय क्षेत्र में उंचे पर्वतों में पायी जाने वाली एक ''जड़ी

बूटी'' या ''जैविक संसाधन'' है, जिसे ''यार्सागुम्बा'' कहा जाता है। इसका स्थानीय नाम ''कीरा जड़ी'' है, जिसे विभिन्न रोगों के लिए एक प्रभावी उपाय कहा जाता है। इसे ''हिमालयी वियाग्रा'' के नाम से भी जाना जाता है।

94. उत्तराखण्ड में स्थानीय और स्वदेशी समुदाय जो उच्च हिमालय में रहते है और मुख्य रूप से आदिवासी है, इस जैविक संसाधन के पारंपरिक 'बीनने वाले'' हैं। सदियों में यह ज्ञान संरक्षित है और अगली पीढ़ी को दिया जाता है। जड़ी बुटी कब और किस मौसम में मिलेगी, उसका गुण, विशिष्ट गुण, गंघ, रंग सभी इस पारम्परिक ज्ञान का हिस्सा है। यह ज्ञान, इन समुदायों के बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में कड़ाई से योग्य नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी एक ''सम्पत्ति अधिकार '' है। जिसे अब पहली बार 2002 अधिनियम द्वारा एफईबीएस के रूप में मान्यता दी गई है। क्या यह कहा जा सकता है कि संसद ने एक ओर स्थानीय समुदायों के इस बहुमूल्य अधिकार को मान्यता दी, लेकिन फिर भी एक ''भारतीय इकाई'' से इसकी रक्षा करने में विफल रहेगी। क्या यह कभी विधायिका का उद्देश्य हो सकता हैं। ''जैविका संसाधन'' निश्चित रूप से एक राष्ट्र की सम्पत्ति है, जहां वे भौगोलिक रूप से स्थित हैं, लेकिन ये एक तहर से स्वदेशी और स्थानीय समुदायों की सम्पत्ति भी है, जिन्होंने इसे सदियों से संरक्षित किया है।

95. हमने ऊपर जो चर्चा की है, उसके आलोक में जब हम जांच करेंगे और अंत में यह निर्धारित करेंगे कि कानून के उपरोक्त प्रावधानों के मद्देनजर, राज्य जैव विविधता बोर्ड (यानी एसबीबी) को ''उचित और समान लाभ साझाकरण'' (एफईबीएस) लागू करने की शक्ति मिली है या नहीं। उन व्यक्तियों के संबंध में जिनके साथ कोई विदेशी तत्व जुड़ा नहीं है, जैसे कि याचिकाकर्ता और क्या राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (यानी एनबीए) को धारा 7 द्वज्ञरा कवर किए गए व्यक्तियों को एफईबीएस लगाने के लिए एसबीबी शक्ति को सौंपने की शक्तियां प्राप्त है। अधिनियम का।

96. जैसा कि एनबीए द्वज्ञरा बनाए गए विनियमों यानी 2014 निवियमों द्व ारा एफईबीएस को लागू करने की शक्ति एसबीबी को दी गई है, जो वर्तमान में चुनौती के अधीन है, आइए अधिनियम और विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ ले।

97. एनबीए को 2002 के अधिनियम की धारा 64 के तहत विनियम बनाने की शक्तियां मिली है। 2002 अधिनियक की धारा 64 निम्नानुसार हैः–

''64 विनियम बनाने की शक्ति– राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण,

आधिकारित राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विनियम होंगे।''

98. इस प्रावधान को फिर से धारा 18 की धारा (1) के साथ पढ़ा जाना है, जिसे नीचे पुनः परस्तुत किया गया है

''18. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के कार्य और शक्तियां– (1) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा 3, 4 और 6 में निर्दिष्ट गतिविधियों को विनियमित करे और विनियमों द्वारा जैविक संसाधनों तक पहुंच और निष्पक्षता के लिए दिषानिर्देश जारी करे और समान लाभ साझा करना।''

99. धारा–21 की उपधारा (2) के तहत लाभ साझाकरण को उसमें प्रदान किये गये सभी या किसी भी तरीके से प्रभावी किया जा सकता है, जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों के संयुक्त स्वामित्व का अनुदान, प्रौद्योगिकी का अन्तरण आदि। जहां मौदिक मुआवजे का भुगतान और लाभ के दावेदारों के अन्य गैर मौद्रिक लाभों के रूप में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण उचित समझे, उन तरीकों में से एक है, जिसमें लाभ साझाकरण निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा उपधारा (4) के तहत एनबीए के पास विनियमन बनाने की शक्ति है। धारा 21 की उपधारा (2) और (4) निम्नानुसार हैं –

''21. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा साम्यपूर्ण लाभ के बंटवाने का निर्धारण, (1) .....

(2) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण इस निमित्त बनाये गये किन्हीं विनियमों के अधीन रहते हुए फायदे में हिस्सा बंटाने का अवधारण करेगा, जिसे निम्नलिखित सभी या किसी रीति से प्रभावी किया जाएगा, अर्थात–

(क) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, या जहां लाभ दावेदारों को ऐसे फायदे के दावेदारों के रूप में पहचाना जाता है, वहां फायदे के ऐसे दावेदारों को बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का संयुक्त स्वामित्व देना;

(ख) प्रौद्योगिकी का अंतरण करना,

(ग) ऐसे क्षेत्रों में उत्पादन, अनुसंधान और विकास एककों का अवस्थान जो फायदे के दावेदारों के बेहतर जीवन स्तर को सुकर बनाते हैं ;

(घ) भारतीय वैज्ञानिकों, फायदे का दावा करने वाले व्यक्तियों और स्थानीय जनता का जैव संसाधन और जैव सर्वेक्षण तथा जैव उपयोग के अनुसंधान और विकास में सहयोजन करना;

(ङ) फायदे का दावा करने वालों के हेतुक की सहायता के लिये जोखिम पूंजी निधि की स्थापना करना;

(च) फायदे का दावा करने वालों को धनीय प्रतिकर और अन्य ऐसे गैर

धनीय फायदों का संदाय करना जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जाएं।

(3) .....

(4) इस धारा के प्रयोजन के लिये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के परामर्श से विनियमों द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत बनायेगी।''

100. मुख्य रूप से 2014 के विनियमों के विनियम 2, 3 और 4 को चुनौती दी गई, जो निम्नानुसार हैः

''2. जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्रक्रिया, वाणिज्यिक उपयोग के लिए या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग के लिए –(1) कोई भी व्यक्ति जो संयुक्त वन प्रबंधन द्वारा काटे गये जैविक संसाधनों तक पहुंच सहित जैविक संसाधनों तक पहुंच का इरादा रखता है। समिति (जे0एफ0एम0सी)/वनवासी/जनजातीय कृषक/ग्राम सभा, जैविक विविधता नियम 2004 के फॉर्म–1 में या राज्य जैव विविधता बोर्ड (एस0बी0बी0) में एन0बी0ए0 के लिए आवेदन करेगी, ऐसे फॉर्म में जो एस0बी0बी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। जैसा भी मामला हो, इन नियमों से जुडे फार्म 'ए' के साथ।

(2) एनबीए या एसबीबी, जैसा भी मामला हो, उपविनियम (1) के तहत आवेदन से संतुष्ट होने पर, अवेदक के साथ एक लाभ साझा करने का समझौता करेगा, जिसे एक्सेस के लिए अनुमोदन प्रदान करने के रूप में माना जाएगा। उस उपविनियम में संदर्भित जैविक संसाधनों के लिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव सर्वेक्षण और व्यावसायिक उपयोग के लिए जैव उपयोग के लिए।

3. जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए जैव सर्वेक्षण और जैव सर्वेक्षण के लिए लाभ साझा करने का तरीका वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपयोग –(1) जहां आवेदक/व्यापारी/निर्माता ने संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जेएफएमसी)/वनवासी/आदिवासी कृषक/ग्राम सभा जैसे व्यक्तियों के साथ किसी पूर्व लाभ साझा करने की बातचीत और खरीद में प्रवेश नहीं किया है,इन व्यक्तियों से सीधे कोई जैविक संसाधन, व्यापारी पर लाभ साझा करने का दायित्व जैविक संसाधनों के खरीद मूल्य के 1.0 से 3.0 प्रतिशत की सीमा में होगा और निर्माता पर लाभ साझा करने का दायित्व 3.0 से 5.0 की सीमा में होगा। जैविक संसाधनों की खरीद मूल्य का प्रतिशत।

बशर्ते कि जहां व्यापारी अपने द्वारा खरीदे गये जैविक संसाधनों को किसी अन्य व्यापारी या निर्माता को बेचता है, तो खरीदार पर लाभ साझा करने

का दायित्व, यदि वह एक व्यापारी है, खरीद मूल्य के 1.0 से 3.0 प्रतिशत के बीच और 3.0 से 5.0 प्रतिशत के बीच होगा, यदि वह एक निर्माता है, बशर्ते कि जहां एक खरीदार आपूर्ति श्रृंखला में तत्काल विक्रेता द्वारा लाभ साझा करने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, खरीदार पर लाभ साझा करने का दायित्व केवल खरीद मूल्य के उस हिस्से पर लागू होगा, जिसके लिए लाभ नहीं है, आपूर्ति श्रृंखला में साझा किया गया।

(2) जहां आवेदक/व्यापारी/निर्माता ने संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जेएफएमसी)/वनवासी/आदिवासी कृषक/ग्राम सभा जैसे व्यक्तियों के साथ किसी पूर्व लाभ साझा करने की बातचीत में प्रवेश किया है और इन व्यक्तियों से सीधे कोई जैविक संसाधन खरीदता है, यदि खरीदार एक व्यापारी है तो आवेदक पर लाभ साझा करने का दायित्व जैविक संसाधनों के खरीद मूल्य के 3.0 प्रतिशत से कम नहीं होगा और खरीदार निर्माता होने की स्थिति में 5.0 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

(3) उच्च आर्थिक मूल्य वाले जैविक संसाधनों जैसे चंदन, लाल चंदन, आदि और उनके डेरिवेटिव के मामले में, लाभ साझा करने में नीलामी या बिक्री राशि की आय पर 5.0 प्रतिशत से कम का अग्रिम भुगतान शामिल हो सकता है, जैसा भी मामला हो, एनबीए या एसबीबी द्वारा तय किया गया हो, और सफल बोलीदाता या क्रेता जैविका संसाधन तक पहुंचने से पहले नामित निधि को राशि का भुगतान करेगा।

(4) विनियम के तहत व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयोग किए गए जैविक संसाधनों के बिक्री मूल्य पर लाभ साझा करने का विकल्प

2–– जब जैविक संसाधनों तक व्यावसायिक उपयोग के लिए पहुंचा जाता है या जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग व्यावसायिक उपयोग की ओर ले जाता है, तो आवेदक के पास निम्नलिखित श्रेणीबद्ध प्रतिशत पर 0.1 से 0.5 प्रतिशत तक लाभ साझा करने का विकल्प होगा उत्पाद की वार्षिक सकल एक्स फैक्ट्री बिक्री जो नीचे दिए गए अनुसार वार्षिक सकल एक्स फैक्ट्री बिक्री माइनस सरकारी करों के आधार पर निकाली जाएगी।

उत्पाद लाभ साझाकरण घटक की वार्षिक सकल एक्स फैक्ट्री बिक्री 1,00,00,000 रूपये तक 0.1प्रतिशत रूपये 1,00,00,001 रूपये 3,00,00,000 0.2 प्रतिशत तक 3,00,00,000 रूपये से उपर 0.5 प्रतिशत

101. विनियमों में उपरोक्त प्रावधान किसी भी व्यक्ति के लिए जो ''जैविक संसाधनों'' तक पहुंच प्राप्त करना चाहता है, जो खरीद मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत है, लाभ साझा करने की बाध्यता प्रदान करता है। याचिकाकर्ता जो एक भारतीय संस्था है, यह भी एसबीबी को एफईबीएस के

रूप में राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है। इसलिए विनियम 3, 4 और 5 को चुनौती।

102. 2002 के अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या कोई कॉप्रेटि, संघ या संगठन जो भारत में पंजीकृत है, व्यावसायिक उपयोग आदि के लिए कोई जैविक संसाधन प्राप्त नहीं कर सकता है । संबंधित एसबीबी को सूचना । इस प्रावधान से केवल स्थानीय समुदायों, वैदों और हकीमों को छूट दी गई है।

103. इसके बाद 2002 अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (बी) हमारे उद्देश्यों के लिये प्रासंगिक है, जो निम्नानुसार है –

''23 राज्य जैव विविधता बोर्ड के कार्य – राज्य जैव विविधता बोर्ड के कार्य होंगे –

(ए) .....

(बी) भारतीयों द्वारा वाणिज्यिक उपयोग या जैव सर्वेक्षण और किसी जैव विविधता संसाधन के जैव उपयोग के लिये अनुमोदन या अन्यथा अनुरोधों को मंजूर करके, विनियमित करना।''

104. इस समय यह कहा जाना चाहिए की शुल्क की मांग के रूप में एक गतिविधि को विनियमित करना कानून में मान्यता प्राप्त एक स्वीकृत प्रथा है। इसलिए, यदि एसबीबी एक नियामक के रूप में याचिकाकर्ता से एफईबीएस के रूप में शुल्क की मांग करता है, जब याचिकाकर्ता व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये जैविक संसाधनों का उपयोग कर रहा है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पास ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं है। जहां तक एनबीए द्वारा एक विनियमन के माध्यम से इस शक्ति के निहित होने का सम्बन्ध है, हमें धारा 21(2)(एफ) और धारा 21 की उपधारा (4) का सहारा लेना चाहिए, जो पहले ही ऊपर उल्लिखित है। धारा 21 की उपधारा (2) के तहत एनबीए के पास ''लाभ साझाकरण निर्धारित करने'' के लिये किसी भी नियमन के अधीन शक्तियां हैं।

105. उचित और न्यायसंगत लाभ साझाकरण क्या है, इसे केवल परिभाषा खण्ड के संकीर्ण दायरे के माध्यम से नहीं देखा जा सकता है। एफईबीएस की अवधारणा को अधिनियम की योजना के व्यापक मापदण्डों और संरक्षण के लिये आन्दोलन के लंबे इतिहास के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय संधियों के रूप में हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ सराहना की जानी चाहिए, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है। एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हम पाते हैं कि धारा 21 की धारा 2(एफ) और उपधारा (4) के तहत एनबीए के पास लाभ के दावेदारों को मौद्रिक मुआवजे और अन्य गैर

मौद्रिक लाभों का भुगतान करने के लिये नियम बनाने की शक्तियां हैं क्योंकि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण विनियमों के रूप में उपयुक्त हो सकता है और बदले में राज्य जैव विविधता बोर्ड के पास शक्तियां और कर्तव्य हैं। अधिनियम की धारा 23(बी) के साथ पठित धारा 7 के तहत विनियामक शक्ति के तहत एफईबीएस एकत्र करें।

106. उपरोक्त के मध्येनजर इस न्यायालय की राय है कि एसबीबी को अधिनियम की धारा 23 के साथ पठित धारा 7 और एनबीए के तहत दिये गये अपने वैधानिक कार्यों के मध्येनजर याचिकाकर्ता से उचित और समान लाभ साझा करने की मांग करने की शक्तियां मिली हैं। अधिनियम की धारा 21 के मध्येनजर आवश्यक नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। नियमों की वैधता के लिये याचिकाकर्ता की चुनौती विफल हो जाती है। यह न्यायालय मानता है कि जैविक संसाधनों तक पहुंच और सम्बद्ध ज्ञान और लाभ साझाकरण विनियम 2014 के दिशानिर्देशों के विनियम 2, 3 और 4 केवल स्पष्ट करते हैं और अधिनियम में क्या है इसका पालन करते हैं और इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं।

107. स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने उपरोक्त प्रावधान के पूर्वव्यापी संचालन पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है क्योंकि अभी तक एसबीबी द्वारा ऐसी कोई मांग नहीं की गयी है। यह पहलू खुला छोड़ दिया गया है।

108. रिट याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज किया जाता है।

109. लागत के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

(सुधांशु धूलिया, न्यायाधीश)

21.12.2018